रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 286] नई दिल्ली, बुधवार, जून 11, 1986/ज्येष्ठ 21, 1908
No. 286] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 11, 1986/JYAISTHA 21, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जून, 1986

सं. 339/86-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 843 (अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व

विभाग, की अधिसूचना सं. 129-सीमाशुल्क तारीख 16 अप्रैल, 1985 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के, शर्त (ii) के स्थान पर निम्नलिखित शर्त रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(ii) किसी वित्तीय वर्ष में आयात उक्त फालतू पुर्जों का सी आई एफ मूल्य इस अधिसूचना के अधीन आयात की गई प्रवेधन रिगों के कुल सी आई एफ मूल्य के दस प्रतिशत से अधिक नहीं है।"।

[फा. सं. 355/33/86-सीयु-1]
सुनील कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th June, 1986

No. 339/86-CUSTOMS

G.S.R. 843(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue, No. 129-Customs, dated the 16th April, 1985, namely :—

In the said notification, for condition (ii), the following condition shall be substituted, namely :—

"(ii) the C.I.F. value of the said spares imported in a financial year does not exceed 10 per cent of the total C.I.F. value of the drilling rigs imported under this notification.".

[F. No. 355/33/86-CUS-I]
SUNIL KUMAR, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS ,DELHI-110054, 1986